Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

No.F(410)VCS/RAJUVAS/RTI/2014/240 Dated: 07-07-2014

श्री पंचम कुमार शर्मा,
V.P.O. कादमा, तहसील बाढड़ा
जिला भिवानी–हरियाणा
पिन–127308
मो. 09813199518

रजिस्टर्ड–पत्र

विषयः–अपील सं. 52/2014 श्री पंचम कुमार शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में कुलपति एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 12.06.2014 की प्रति सलंग्न कर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है।

सलंग्नः– निर्णय प्रति।

Sd/-
निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को निर्णय दिनांक 12.06.2014 की प्रति पालनार्थ प्रेषित है।
2. डॉ. जी.सी. गहलोत, प्रोफेसर, ए.जी.बी., पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को निर्णय प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि निर्णय विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर जारी करने का कष्ट करावें।

निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 52/2014

श्री पंचम कुमार शर्मा..अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर .... उत्तरदाता

उपस्थितिः–

(1) अपीलार्थी– श्री पंचम कुमार शर्मा – (अनुपस्थित)

(2) उत्तरदाता– डॉ. राकेश राव, कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर। (उपस्थित)

दिनांक 12.06.2014

निर्णय

अपीलार्थी श्री पंचम कमार शर्मा ने लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.2014 प्रेषित कर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाएं उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक 424–25 दिनांक 14.02.2014 से कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित किए गए प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र एफ. (410)राजूवास/रजि./आर.टी.आई./2014/90 दिनांक 04.03.2014 से सूचना/प्रत्युत्तर निः शुल्क प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित की गई सूचनाएं तथा प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
1	राजस्थान एग्रीकल्चर युनीवसीटी बीकानेर द्वारा A.H.D.C Animal Husbandry Diploma Course. कराया जाता है वह युनीवसीटी द्वारा	इस संबंध में लेख है कि राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा A.H.D.P. (Animal Husbandry Diploma Programme) करवाया जाता था। यह

	किस वर्ष से चालू किया है कृपया जानकारी दिलावें।	डिप्लोमा प्रोग्राम कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ किया गया था। इससे पूर्व यह डिप्लोमा राजस्थान सरकार द्वारा करवाया जाता था।
2	A.H.D.C. का कोर्स कितने वर्ष में कराया जाता है एवं प्रवेश योग्यता क्या रखी गई है एवं सत्र कब से कब चलता है ?	इस संबंध में लेख है कि A.H.D.P. का पाठ्यक्रम 02 वर्ष का है एवं प्रवेश योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th (Science Biology Subject) रखी गई है एवं सत्र माह जुलाई से जून तक चलता है।
3	राजस्थान एग्रीकल्चर युनीवसर्टी द्वारा A.H.D.C. डिप्लोमा के लिए राजस्थान प्रान्त में कहां कहां पर सरकारी एवं प्राईवेट महाविद्यालय मान्यता प्राप्त चलाये जा रहे है कृपया जानकारी दिलाने की कृपा करावें।	आप द्वारा वांछित सूचना के संबंध में तीन पृष्ठ निःशुल्क संलग्न प्रेषित किए जा रहे है।

लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र दिनांक 04.03.2014 से प्रेषित प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के समक्ष की गयी जो कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक 346–47 दिनांक 26/28.04.2014 से मूल ही इस विश्वविद्यालय को निस्तारण हेतु प्रेषित की गयी। उक्त पत्र दिनांक 26/28.04.2014 दिनांक 13.05.2014 को इस विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ जिस पर अपील दर्ज रजिस्टर की गयी तथा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 26.05.2014 प्रेषित कर दिनांक 11.06.2014 को सुनवाई में व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। सुनवाई दिनांक 11.06.2014 को अपीलार्थी अनुपस्थित रहा तथा अपरिहार्य कारणों से दिनांक 11.06.2014 को सुनवाई भी नहीं की जा सकी चूंकि अपील पहले से ही विश्वविद्यालय को विलम्ब से प्रेषित की गयी अतः अपीलार्थी को नोटिस दिए जाने के स्थान पर आगामी दिवस दिनांक 12.06.2014 को ही सुनवाई की गयी।

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, डॉ. राकेश राव उपस्थित हुए जिन्होने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो दिनांक 01.02.2014 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ तथा दिनांक 14.02.2014 को इस विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया। यद्यपि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के प्रावधानों अनुसार यदि वांछित सूचनाएं इस विश्वविद्यालय से संबंधित थी तो पॉच दिवस में प्रार्थना पत्र इस विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया अपितु विलम्ब से स्थानान्तरित किया, इस कारण बिन्दु–3 की सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाकर शेष बिन्दुओं का प्रत्युत्तर दिया गया तथा विश्वविद्यालय स्तर से अब कोई भी सूचना दी जानी शेष नहीं है तथा अपीलार्थी ने यह अपील भी कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के समक्ष की गयी

है इस पर उनके स्तर से ही निर्णय किया जाना चाहिए। अतः इस विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भी सूचना बकाया नहीं होने के कारण अपील सारहीन है।

मैनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र एवं लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्ववद्यिालय, बीकानेर के पत्र दिनांक 04.03.2014 का अवलोकन किया। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (6) के प्रावधानों अनुसार अपील की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाईल किए जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक न हो, निस्तारण किया जाएगा। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2014 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में प्राप्त हुआ जो कि कुलसचिव, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र दिनांक 26/28.04.2014 से दिनांक 13.05.2014 को इस विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर स्तर से अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् अपील के निस्तारण हेतु निर्धारित 45 दिवस की अवधि के पश्चात् इस विश्वविद्यालय को प्रेषित की गयी। इस कारण निर्णय निर्धारित 45 दिवस की अवधि के पश्चात् पारित किया गया है। अपील प्राप्त होने के पश्चात् अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर भी दिया जाना आवश्यक होने के कारण ही सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया।

लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित प्रत्युत्तर दिनांक 04.03.2014 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बिन्दू सं..2 के संबंध में संक्षिप्त सूचना दी गयी है जबकि विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर इस संबंध में उपलब्ध सूचना अनुसार ही अपीलार्थी को सूचना दी जानी चाहिए जो कि वास्तव में नही दी गयी है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि बिन्दू सं. 2 के संबंध में 30 दिवस में विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना अनुसार सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबधित को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

(ए.के. गहलोत)
कुलपति एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
राजूवास, बीकानेर

Registrar
Rajasthan University of
Veterinary And Animal Sciences
BIKANER